कार्यालय नजारत अनुभाग, जिला जजी, लखीमपुर–खीरी।

इश्तिहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अहाता दीवानी कचेहरी लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में स्थित कैन्टीन नं0–1, कैन्टीन नं0–2, स्टेशनरी विक्रय, साइकिल स्टैण्ड, चूरा–चबेना, जलजीरा एवं ठण्डा पानी, फल, फोटोस्टेट, फोटोग्राफर, स्टेशनरी शॉप/फोटोस्टेट नं0–1, स्टेशनरी शॉप/फोटोस्टेट नं0–2, आदि के ठेके हेतु वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अलग–अलग ठेकों की नीलामी हेतु दिनांक 20.03.2021 नियत कर दीवानी न्यायालय के मीटिंग हाल में नीलामी की कार्यवाही की गयी थी। दिनांक 20.03.2021 को की गयी नीलामी कार्यवाही मे जनपद न्यायालय लखीमपुर–खीरी में ठेका ठण्डा पानी, व जलजीरा, ठेका स्टेशनरी व ठेका फल विक्रय की नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। दिनांक 20.03.2021 को की गयी नीलामी कार्यवाही में कैन्टीन नं0–1, कैन्टीन नं0–2, साइकिल स्टैण्ड, चूरा–चबेना, फोटोस्टेट, फोटोग्राफर, स्टेशनरी शॉप/ फोटोस्टेट नं0–1, स्टेशनरी शॉप/फोटोस्टेट नं0–2, से सम्बन्धित ठेकों की नीलामी नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार शेष ठेकों की नीलामी हेतु दिनांक 07.04.2021 को पुनः नीलामी की तिथि नियत किये जाने पर किसी शेष ठेके की नीलामी नहीं हो पायी थी। तत्पश्चात कोविड संक्रमण के कारण परिसर को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने हेतु, स्थिति सामान्य होने तक नीलामी प्रक्रिया स्थगित रखी गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि हेतु पुन: नीलामी की आवश्यकता को पाया गया है।

तदनुसार जनपद न्यायालय लखीमपुर–खीरी परिसर में कैन्टीन नं0–1, कैन्टीन नं0–2, साइकिल स्टैण्ड, चूरा–चबेना, फोटोस्टेट, फोटोग्राफर, स्टेशनरी शॉप/ फोटोस्टेट नं0–1, स्टेशनरी शॉप/फोटोस्टेट नं0–2, की नीलामी कार्यवाही दिनांक 08.09. 2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए उक्त ठेकों के लिए अलग–अलग ठेकों की नीलामी दिनांक 07.09.2021 को मीटिंग हाल जिला जजी, खीरी स्थित दीवानी न्यायालय प्रांगण में अपराह्न 4:30 बजे की जायेगी।

अतएव जिस किसी को उक्त ठेकों की नीलामी हेतु बोली बोलना हो, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1. स्थाई आवास प्रमाणपत्र
2. फोटो आई0डी0
3. दो फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाणपत्र
4. कैन्टीन नं0–1, कैन्टीन नं0–2, साइकिल स्टैण्ड, चूरा–चबेना, फोटोस्टेट, फोटोग्राफर, स्टेशनरी शॉप/ फोटोस्टेट नं0–1, स्टेशनरी शॉप/फोटोस्टेट नं0–2, आदि की बोली बोलने वाले को बतौर काशन मनी मु0 10,000/–रू0 बोली बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास टेण्डर द्वारा नकद जमा करनी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि काशन मनी के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी का पूर्व का ठेकेदार है, तो उसे दिनांक 06.09.2021 तक केन्द्रीय नाजिर से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करके नीलामी के पूर्व दाखिल करना होगा।

5. जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत की जायेगी, उसे बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद बोली की धनराशि का 1/3 भाग नकद केन्द्रीय नाज़िर के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

6. जो ठेके मु0 10,000/– रू0 (दस हजार रुपये) से अधिक में दिये जायेंगे, उनके ठेकेदारों को 1/3 भाग तुरन्त तथा 1/3 भाग दिनांक 31.12.2021 तक, व 1/3 भाग दिनांक 31.01.2022 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

7. किसी भी ठेके की नीलामी की अधिकतम बोली तब तक अन्तिम नहीं समझी जायेगी जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके की अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार न करे, तथा कम बोली अपनी इच्छा/विवेक से स्वीकार कर लेवें।

8. ठेकेदार द्वारा जो काशन मनी जमा की जायेगी, उसे ठेके की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद वापस की जायेगी। यदि किसी भी ठेकेदार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार नीलामी की धनराशि समय से जमा नहीं की जाती है, तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह काशन मनी को जब्त कर ठेका निरस्त कर देवें।

9. जिन खाद्य पदार्थों की बिकी के लिए लाइसेन्स की जरूरत हो, उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी से उन पदार्थों की बिकी के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

10. प्रत्येक ठेकेदार को ठेकेदारी का कार्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके को किसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा। ठेकेदार द्वारा किसी को शिकमी ठेकेदार के रूप में न ही रखा जा सकेगा, यदि कोई ठेकेदार ऐसा करता पाया जाता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेका निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लेवें।

11. सभी खाद्य पदार्थों के ठेकेदारों को अपनी दुकान व ठेलों पर बिकी हेतु सामानों की सूची तथा मूल्य का विवरण लगाना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थों का मूल्य व गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरूप होगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता किसी भी समय प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा देखी जा सकेगी। सभी खाद्य पदार्थों को जाली से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

12. किसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण में स्थायी/अस्थाई निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार को दिनांक 31.03.2022 को सायं 5:00 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान, ठेला व अन्य सामान हटाना होगा।

13. साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्तिं को, जो उनके स्टैण्ड पर साइकिल/मोटर साइकिल खड़ी करते हैं, उसे दिन के दो टोकन जारी करने होंगे, जिसमें से एक टोकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा व दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। स्टैण्ड में खड़े वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी

होगी। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। स्टैण्ड पर खड़े करने वाले वाहनों का दैनिक, मासिक व वार्षिक शुल्क की सूची ठेकेदार को खुले में टांगना होगा।

14. जिन ठेकेदारों के नाम ठेका स्वीकृत होगा, उन ठेकेदारों को ठेका स्वीकृत होने के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2021—22 हेतु ठेका अनुमोदन की तिथि से 31.03.2022 अवधि तक के लिए दिये ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाम्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशानुसार हस्ताक्षरित व निष्पादित करके दाखिल करना होगा और ठेकानामा निष्पादन का खर्च सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

15. न्यायालय परिसर में ठेका चूरा चबेना, प्रति ठेले का ठेका होगा।

16. ठेला पुरानी सिविल कोर्ट बिल्डिंग में पोर्टिको के सामने मैदान में लगाया जायेगा। परिसर में बनी सड़कों/सड़कों के किनारे कोई भी ठेला नहीं लगाया जायेगा। प्रत्येक ठेले के पास कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक—एक डस्टबिन रखा जाना अनिवार्य होगा। परिसर में अनावश्यक गंदगी न फैले, इसका दायित्व भी उक्त ठेकेदारों का होगा।

17. ठेकेदारों को दैवी आपदा, हड़ताल आदि में दुकान बंद होने पर किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकेगी।

26/8/021

(अनिल कुमार—द्वितीय)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला जज, कोर्ट सं0—1,
लखीमपुर—खीरी।

Seen
26/8/21

दिनांकः— अगस्त , 2021

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः—</u>

1. नोटिस दीवानी न्यायालय, लखीमपुर—खीरी।
2. नोटिस बोर्ड, क़लेक्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।
3. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, लखीमपुर—खीरी।
4. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका परिषद, लखीमपुर—खीरी।
5. नोटिस बोर्ड, अधिशाषी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, लखीमपुर—खीरी।
6. नोटिस बोर्ड, सिंचाई विभाग, लखीमपुर—खीरी।
7. नोटिस बोर्ड, सदर चौराहा, लखीमपुर—खीरी।
8. जिला सूचना केन्द्र, लखीमपुर—खीरी।
9. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, लखीमपुर—खीरी।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला जजी, लखीमपुर—खीरी।
11. प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को सर्वाधिकार प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित हो।

आज्ञा से,

26/8/21

<u>संलग्नकः</u>—यथोक्त।

केन्द्रीय नाजिर,
जिला जजी, खीरी।